

न्यायालय:श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-126 / 2012
संस्थित दिनांक-28.02.2012
फाईलिंग क्र.234503000572012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

-----अभियोजन

// विरुद्ध //

1.इंदिराबाई पति अमरसिंह, उम्र-55 साल,
निवासी ग्राम कुरेंडा थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2.झुनकी पिता अमरसिंह, उम्र-22 साल,
निवासी ग्राम कुरेंडा थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

3.राधिका पिता अमरसिंह, उम्र-20 साल,
निवासी ग्राम कुरेंडा थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

4.जसपाल पिता अमरसिंह, उम्र-19 साल,
निवासी ग्राम कुरेंडा थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

-----आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-02 / 07 / 2016 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323 एवं 506 भाग-2 के तहत आरोप है कि उनके द्वारा दिनांक-10.10.2011 को सुबह 7:00 बजे ग्राम कुरेंडा थाना परसवाड़ा अंतर्गत लोकस्थान पर फरियादी दुलीचन्द को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं आहत दुलीचन्द को हाथ-मुक्कों एवं लकड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। फरियादी दुलीचंद को संत्रास करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना फरियादी दुलीचंद ने दिनांक-10.10.2011 को पुलिस थाना परसवाड़ा आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम कुरेंडा रहता है। सुबह करीब 7:30 बजे वह अपने घर के सामने खड़ा था, तभी उसके पड़ोस में रहने वाले इंदिराबाई, राधिकाबाई, झुनकी, जसपाल आये और उसे मॉ-बहन की अश्लील गालियाँ देने लगे। आरोपीगण ने उससे कहा कि उसने जमीन हड़प ली है और इस बात को लेकर उसके साथ विवाद किया और हाथ-मुक्कों से मारपीट की। आरोपी इंदिराबाई ने उसे लकड़ी से मारा था। आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना परसवाड़ा द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-50/11 अंतर्गत धारा-294, 323, 506, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। साक्षीगण के कथन लिये गये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान क्रमांक-01/12 दिनांक 07.01.2012 तैयार किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैं कि:-

1- क्या आरोपीगण ने दिनांक-10.10.2011 को सुबह 7:00 बजे ग्राम कुरेंडा थाना परसवाड़ा अंतर्गत लोकस्थान पर फरियादी दुलीचंद को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य दूसरों को क्षोभ कारित किया ?

2- क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत दुलीचंद को हाथ-मुक्कों एवं लकड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

3— क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी दुलीचंद को संत्रास करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 एवं 3 का निष्कर्ष :-

5— सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से विचारणीय बिंदु क्रमांक क्र.01 एवं 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6— अभियोजन साक्षी दुलीचंद (अ.सा.1) ने अपने कथन में कहा है कि घटना वर्ष 2011 के सुबह 9:00 बजे की है। आरोपीगण उसे माँ-बहन की गंदी-गंदी गाली दे रहे थे। आरोपीगण ने उसे कौन-कौन सी गालियाँ उच्चारित की थी, यह साक्षी ने अपने कथनों में प्रकट नहीं किया है। साक्षी दुलीचंद (अ.सा. 1) ने यह भी कहा है कि आरोपीगण ने उसे कहा था कि मार-मार के फुटबाल बना देंगे। इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना परसवाड़ा में दर्ज कराई गई थी। अभियोजन साक्षी नेमीचंद (अ.सा.2) ने अपने कथन में कहा है कि उसे घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक-10.10.2011 को इंदिराबाई और उसके परिवार के लोगों ने फरियादी दुलीचंद से जमीन की बात पर से विवाद किया था और अश्लील गालियाँ दी थी और मारपीट की थी। शेष अभियोजन साक्षीगण डॉ० अवधेश (अ.सा.3) डॉ० डी०के० राउत (अ.सा.4) एवं नेहरू (अ.सा.5) के कथनों से आरोपीगण द्वारा फरियादी को अश्लील गालियाँ दिये जाने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं होते हैं। फरियादी दुलीचंद (अ.सा.1) ने अवश्य यह कहा है कि आरोपीगण ने उसे अश्लील गालियाँ दी थी, परन्तु उसे गालियाँ सुनकर क्षोभ कारित हुआ था यह नहीं कहा है। इसी प्रकार आरोपीगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी दी गई थी जिससे सुनकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित हुआ हो, यह अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 एवं 506 भाग-2 का अपराध किये जाने के तथ्य

सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-2 के अपराध के अंतर्गत सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु कमांक-2 का निष्कर्ष

7- अभियोजन साक्षी दुलीचंद (अ.सा.1) ने अपने कथन में कहा है कि घटना वर्ष 2011 के सुबह 09 बजे की है। आरोपीगण ने लकड़ी के डण्डे से उसके साथ मारपीट की थी, जिससे उसके हाथ की उंगली में चोट लगी थी जिसके संबंध में घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना परसवाड़ा में की थी, जो प्र.पी.01 हैं। पुलिस ने घटना का मौका-नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के बारे में उससे पूछताछ की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने ऐसी अफवाह फैलाई थी कि आरोपी राधाबाई के किसी हिम्मत सिंह नामक व्यक्ति से अवैध संबंध है।

8- अभियोजन साक्षी नेहरू (अ.सा.5) ने अपने कथन में कहा है कि वह दिनांक-11.10.2011 को प्रधान आरक्षक के पद पर थाना परसवाड़ा में पदस्थ था। उसने अपराध कमांक-50/11 की केस डायरी प्राप्त होने पर घटनास्थल जाकर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 लगायत 8 तैयार किया था जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने गवाहों के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने मौका-नक्शा प्र.पी.02 मौके पर जाकर नहीं बनाया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इस साक्षी से इंकार किया है कि उसने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था एवं प्र.पी-5 लगायत प्रदर्श पी-8 की कार्यवाही नहीं की थी।

9- अभियोजन साक्षी डॉ० अवधेश (अ.सा.3) ने अपने कथन में कहा है कि वह दिनांक-10.10.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। इसी दिनांक को आहत दुलीचंद को चिकित्सीय

परीक्षण हेतु उसे समक्ष लाया गया था, जिसका परीक्षण करने पर उसने आहत के अंगुठे के पास उंगली में सूजन तथा दाहिने घुटने में खरोंच होना पाई थी एवं इस संबंध में उसने चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी-03 तैयार की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10— अभियोजन साक्षी डॉ० डी०के० राउत (अ.सा.4) ने अपने कथन में कहा है कि वह दिनांक-02.11.2011 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। इसी दिनांक को एक्स-रे प्लेट क्रमांक 3727 की जांच की थी और एक्स-रे प्लेट की जांच की जाने पर आहत को अस्थिभंग होना नहीं पाया था।

11— अभियोजन साक्षी नेमीचंद (अ.सा.2) को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा उसकी साक्ष्य से अभियोजन पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं है।

12— अभियोजन साक्षी दुलीचंद (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि आरोपीगण ने उसके साथ लकड़ी के डण्डे से मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण में आरोपीगण द्वारा यह सुझाव नहीं दिया गया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी के साथ मारपीट नहीं की थी। घटना की रिपोर्ट घटना दिनांक-10.10.2011 को लेख कराया जाना दर्शित है। घटना घटित होने का समय 7:00 बजे लेख है एवं थाने में सूचना प्राप्त होने का समय प्र.पी.01 पर लेख नहीं है। घटना दिनांक को ही आहत दुलीचंद का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया था, यह बात चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03 से प्रकट हो रही है। दिनांक-10.10.2011 को चिकित्सक साक्षी डॉ० अवधेश (अ.सा.3) ने आहत दुलीचंद के अंगुठों के पास की उंगली में सूजन तथा दाहिने घुटने में खरोंच होना पाई थी। विवेचक साक्षी नेहरू (अ.सा.5) ने स्वयं द्वारा की गई कार्यवाही को प्रमाणित किया है। उपरोक्त अभियोजन साक्षीगण अपने प्रतिपरीक्षण में इस बिन्दु पर अखण्डित रहें हैं कि घटना नहीं हुई थी और घटना में आहत दुलीचंद को साधारण उपहति कारित हुई थी, इसलिये यह संदेह से परे प्रमाणित हो रहा है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी दुलीचंद के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति

कारित की थी। आरोपीगण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अंतर्गत अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को धारा-323 भा0द0वि0 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है।

13- आरोपीगण द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु प्रकरण कुछ देर बाद पेश हो।

(श्रीष कौलाश शुक्ल)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,

जिला-बालाघाट

पुनश्च-

14- दंड के प्रश्न पर आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण एवं फरियादी पक्ष एक ही गांव के रहने वाले हैं। विचारण में काफी समय लग गया है। ऐसी स्थिति में उनके साथ नरमी का व्यवहार किया जावे।

15- आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। प्रकरण वर्ष 2012 से लंबित है। आरोपीगण द्वारा किया गया अपराध सामान्य मारपीट की प्रकृति का है, अत्यंत गंभीर प्रकृति का नहीं है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को सांकेतिक दंड दिया जाना उचित होगा। अतः आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 का अपराध किया जाना प्रमाणित पाए जाने से आरोपीगण को उक्त धारा के अंतर्गत न्यायालय अवसान अवधि तक का कारावास तथा 100-100 रुपये (सौ रुपये प्रत्येक आरोपी) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड न चुकाये जाने की दशा में आरोपीगण को 15-15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे। अर्थदंड की राशि में से 100/-रुपये फरियादी/आहत दुलीचंद को द.प्र.सं. की धारा 357(ख) के अंतर्गत प्रतिकर के रूप में दिलाया जावे।

16- प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहें हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. का प्रमाणपत्र बनाकर संलग्न किया जावे।

17- प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

18- आरोपीगण को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क तत्काल प्रदान की जाये।

19- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति पेश नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही/-

बैहर
दिनांक-02.07.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट